\
(

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालय आयुक्त आबकारी
एल–ब्लॉक, विकास भवन, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली

फा0 सं0 10(210)/आब0/आईएमएफएल/2011–12/पार्ट फाइल 62350-2367 **दिनांक :** 01/01/2025

आदेश

दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 के नियम 52 के प्रावधानों के अनुसरण में, एतद् द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि दिल्ली में स्थित आबकारी विभाग के सभी एल–1, एल1एफ, एल–2, एल–3, एल–4, एल–5, एल–6, एल–6एफजी, एल–6एफई, एल–8, एल–9, एल–10, एल–11, एल–14, एल–23, एल–23एफ, एल–25, एल–26, एल–31, एल–32, एल–33, एल–34, एल–35 लाइसेंसधारियों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निम्नलिखित तिथियों को "शुष्क दिवस" (ड्राइ डे) माना जाएगा :–

क्र0सं0	अवसर	तिथि	दिन
1.	गणतंत्र दिवस	26.01.2025	रविवार
2.	गुरु रविदास जयंती	12.02.2025	बुधवार
3.	स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती	23.02.2025	रविवार
4.	महाशिवरात्रि	26.02.2025	बुधवार
5.	होली	14.03.2025	शुक्रवार
6.	ईद–उल–फितर	31.03.2025	सोमवार

इसके अतिरिक्त, सभी एल–16, एल–16एफ, एल–17, एल–17एफ, एल–18, एल–18एफ, एल–19, एल–19एफ, एल–20, एल–20एफ, एल–21, एल–21एफ, एल–22, एल–28, एल–28एफ, एल–29, एल–29एफ, पी–10, पी–10ए एवं पी–13 लाइसेंसधारी निम्नलिखित दिन को शुष्क दिवस के रूप में मानेंगे:–

क्र0सं0	अवसर	तिथि	दिन
1.	गणतंत्र दिवस	26.01.2025	रविवार

लाइसेंसधारी उपरोक्त सूची में किए गए किसी भी परिवर्तन के कारण किसी भी मुआवजे के हकदार नहीं होंगे।

एल–15 एवं एल–15एफ लाइसेंस वाले होटलों के मामले में, ऊपर उल्लिखित शुष्क दिवसों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध होटल में ठहरने वालों के लिए शराब परोसने पर लागू नहीं होगा।

सभी लाइसेंसधारियों को अपने लाइसेंस प्राप्त परिसरों के किसी विशिष्ट स्थान पर इस आदेश को प्रदर्शित करना होगा।

लाइसेंसधारी का व्यावसायिक परिसर शुष्क दिवस पर बंद रखा जाएगा।

रवि झा
(रवि झा)
आयुक्त (आबकारी)

फा0 सं0 10(210)/आब0/आईएमएफएल/2011–12/पार्ट फाइल/2350-2367 दिनांक : 01/01/2025

प्रतिलिपि निम्न को अग्रेषित:–

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली, राज निवास, दिल्ली।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. अपर मुख्य सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. पुलिस आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली।
7. मंडलीय आयुक्त–सह–सचिव (राजस्व), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. सूचना एवं प्रचार निदेशक को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
9. अवर सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
10. उपायुक्त (कर/आबकारी), आबकारी, मनोरंजन एवं विलासिता कर विभाग।
11. सहायक आयुक्त (ईएससीआईएमएस/ई–आबकारी) को आईटी के माध्यम से इसे ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
12. सहायक आयुक्त (परमिट) को आवश्यक कार्रवाई हेतु।
13. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को आबकारी विभाग की वेबसाइट पर इसे अपलोड करने हेतु।
14. समस्त शाखा अधिकारी, आबकारी विभाग, दिल्ली को इस आदेश को अपने नियंत्रण के अन्तर्गत समस्त लाइसेंसधारियों को परिचालित करने के अनुरोध के साथ।
15. समस्त आबकारी निरीक्षक/उप–निरीक्षकों को सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु।
16. प्रबंध निदेशक, डीएसआईआईडीसी, डीटीटीडीसी, डीएससीएससी और प्रशासक, डीसीसीडब्ल्यूएस।
17. समस्त लाइसेंसधारी।
18. गार्ड फाइल।

तनवीर

(तनवीर अहमद)
उपायुक्त (आबकारी)